

आदेश

दिनांक-07.03.2025 को कल्याण कोष का बिहार पुलिस केन्द्रीय प्रशासी समिति की बैठक के वृत्त की कंडिका-3 में बिहार पुलिस परोपकारी कोष से पुलिस आदेश सं0-210/88 के आलोक में सेवाकाल में मृत कर्मियों के आश्रितों को मृत्यु की तिथि से 20 वर्षों तक दी जाने वाली अनुदान राशि की अवधि को 05 वर्ष बढ़ाकर कुल 25 वर्ष करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है, जो बैठक की तिथि से प्रभावी होगा।

तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

इस पर पुलिस महानिदेशक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

[Handwritten Signature]
17/3/25

अपर पुलिस महानिदेशक (बजट/अपील/कल्याण)

बिहार, पटना

ज्ञाप संख्या कल्याण-01-03-41-2025/.....619.....

बिहार पुलिस मुख्यालय

(मुख्यालय एवं बजट प्रभाग)

पटना, दिनांक 18.03.2025

प्रतिलिपि:-

1. सभी अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार/सभी पुलिस महानिरीक्षक, बिहार/सभी पुलिस उप-महानिरीक्षक, बिहार/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, रेलवे सहित, बिहार/सभी समादेष्टा, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक, (वित्तु)/ पुलिस अधीक्षक (अ0)/विशेष शाखा/(सी0)/अपराध अनुसंधान विभाग/मंत्रिमंडल निगरानी/ आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. अध्यक्ष/महामंत्री, बिहार, पुलिस एसोसिएशन बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
4. अध्यक्ष/महामंत्री, बिहार पुलिस अनुसचिवीय कर्मचारी संघ, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रशाखा पदाधिकारी, कल्याण प्रशाखा, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
6. आई0टी0 मैनेजर पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

[Handwritten Signature]
17/3/25

अपर पुलिस महानिदेशक (बजट/अपील/कल्याण)

बिहार, पटना